संख्या-43/2020/1480/71-2-20-698/2020 टी0सी0-6

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0,
लखनऊ।

2- निदेशक,
एसआई0जी0पी0जी0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 01 जून, 2020

विषय-वित्तीय वर्ष 2020-21 में True Nat-Real Time quantitive Micro PCR मशीन एवं किटस क्रय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने (महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) पत्रांक-एमई/ पर्चेज/कोविड-19/511, दिनांक 28 मई, 2020 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ हेतु चालू वित्तीय वर्ष में एस0जी0पी0जी0आई0 के उपकरण मद में प्राविधानित धनराशि से True Nat-Real Time quantitive Micro PCR Machine एवं गैर वेतन मद से किटस का क्रय किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- महानिदेशक के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 28-05-2020 में True Nat-Real Time quantitive Micro PCR Machine के प्रोप्राइटरी आइटम होने का उल्लेख करते हुए प्रति नग मूल्य रू0 13,44,000/- की दर से 07 नग True Nat-Real Time quantitive Micro PCR Machine का टैक्स सहित मूल्य रू0 94,08,000/- (रूपये चौरानवे लाख, आठ हजार मात्र) एवं इन मशीनों के उपयोगार्थ प्रति टेस्ट रू0 1232.00/- की दर से एक माह हेतु टैक्स सहित रू0 1,08,66,240.00/- (रूपये एक करोड, आठ लाख, छाछठ हजार, दो सौ चालीस मात्र) आंकलित की गयी है।

3- इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0जी0पी0जी0आई, लखनऊ में कोविड-19 के प्रबन्धन एवं इमरजेन्सी सेवाओं के संचालन हेतु 07 नग True Nat-Real Time quantitive Micro PCR Machine एवं इसके उपयोगार्थ 01 माह हेतु किटस के क्रय की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त मशीन के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-031 के अंतर्गत पूॅजीलेखा में एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के उपकरण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 94,08,000/- (रूपये चौरानवे लाख, आठ हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित आंकलन के अनुसार किट्स पर आने वाला व्यय पूर्व में शासनादेश संख्या 40/2020/855/71-2-20-02/2018, दिनांक 08.04.2020 द्वारा '20 सहायता अनुदान (गैर-वेतन) मद' में अवमुक्त धनराशि से वहन किया जाएगा। उक्त True Nat Machine एवं किट्स का क्रय निम्निलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन किया जायः-

1- नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुये ही True Nat-Real Time quantitive Micro PCR मशीन एवं किटस का क्रय किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- True Nat मशीन के प्रोपरायटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 तथा संबंधित चिकित्सा निदेशक, संस्थान का होगा।

3- True Nat मशीन (04 स्लॉट की सुविधायुक्त) एवं किट्स (01 माह हेतु) के स्पेक्स (विशिष्टियॉ) का निर्धारण, आडिट एवं गुणवत्ता मानक आदि का दायित्व निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 का होगा।

4- महानिदेशक द्वारा Molbio Diagnostics Pvt. Ltd फर्म के कोटेशन के आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, यदि संबंधित फर्म द्वारा गलत सूचना दी गयी है, तो फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जायेगा।

5- मशीन एवं किटस क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में प्राविधानित धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर (क्रयादेश/ मशीन स्थापना की सूचना सहित) वित्त नियंत्रक /वित्त अधिकारी, संस्थान द्वारा शासन/महानिदेशक को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- मशीन एवं किटस का क्रय प्रचलित सुसंगत क्रय नियमों/अन्य नियमों का पालन करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- कोविड-19 की आकस्मिकता के दृष्टिगत महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, द्वारा संस्थान को यथापेक्षित सहयोग प्रदान कर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

8- वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही संबंधित मशीन एवं किटस के क्रय की कार्यवाही संस्थान के स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब मशीन एवं किटस के क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली गयी हो।

10- स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।

11- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

12- निदेशक/वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- उक्त मशीन एवं किटस का क्रय किए जाने के संबंध में समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण किए जाने के पश्चात, यदि मशीन एवं किटस के क्रय के पश्चात धनराशि की बचत होती है तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में क्रय किए जाने वाले अन्य उपकरणों में तदनुसार समायोजित किया जायेगा।

14- उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

15- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

16- मशीन एवं किटस के क्रय के संबंध में सुसंगत नियमों इत्यादि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का संपूर्ण दायित्व निदेशक/वित्त नियंत्रक, संस्थान का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- True Nat-Real Time quantitive Micro PCR Machine पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31 -चिकित्सा विभाग(चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूँजी लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयत्र" के नामे डाला जायेगा।

6- मशीन के उपयोगार्थ 01 माह हेतु किटस के क्रय पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31 -चिकित्सा विभाग(चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के राजस्व लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 105-एलोपैथी, 03-शिक्षा 0309-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-43/2020/1480(1)/71-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in